

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 129/2023-24

दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती देवकी देवी,
कूर्माचल कालोनी, खटीमा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती देवकी देवी का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KH2K733122116 (01 किलोवाट घरेलू) पर लगा विद्युत मीटर सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने उक्त परिसर पर लगे खराब विद्युत मीटर की शिकायत विभागीय कार्यालय में भी की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मीटर को शीघ्र ही बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 11.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 05.09.2023 व 26.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अम्बिका यादव उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

क्रमशः 2.....

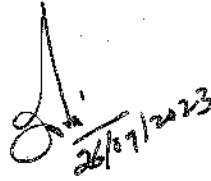
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या-813 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत मापक खराब होने के उपरान्त विद्युत प्रयोगशाला सितारगंज द्वारा दिनांक 23.08.2023 को उनके परिसर पर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया था। परिवादिनी के विद्युत बीजक को उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठ्यांक के आधार पर संशोधित कर रू0 3946.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

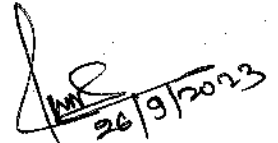
परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य